

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/सु.गा./अनु.पत्रा./22-23/2022/1794

दिनांक:- 09/11/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के समस्त वृत्त/खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थार्थ दिनांक 01.08.2022 के पश्चात तैनात किए गए अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरियों की कार्यवधि दिनांक 31.10.2022 तक अथवा नवीन टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ायी गई थी, को दिनांक 30.11.2022 तक अथवा नवीन टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा संबंधित कार्य निस्तारण तक (जो भी पहले हो), बढ़ायी जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-वि.स.एवं. मु.ले.अधि./मुख्य अभि (मु.)/I/II, राआमं, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताराआमं,।
4. समस्त उप आवासन आयुक्तराआमं,।
5. समस्त आवासीय अभियन्ताराआमं,।
6. संबंधित सुरक्षा प्रहरी एजेन्सी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक